सं. 36033/1/2008-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 15 जुलाई, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की बकाया आरक्षित रिक्तियों को एक पृथक समूह माना जाने तथा उस पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लागू नहीं किए जाने के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 29 अगस्त, 1997 के का.ज्ञा. सं. 36012/5/97-स्था.(आरक्षण) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा वर्तमान और बकाया आरक्षित रिक्तियों दोनों पर लागू होगी । इन अनुदेशों को दिनांक 20.07.2000 के का.ज्ञा. सं. 36012/5/97-स्था.(आरक्षण) खंड।। द्वारा यह व्यवस्था करते हुए संशोधित किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को एक पृथक और भिन्न समूह माना जाएगा तथा किसी वर्ष विशेष की रिक्तियों की कुल संख्या पर 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए उनको उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा । अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को भी उसी तरह एक पृथक और भिन्न समूह के रूप में माना जाएगा जिस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को माना जाता है । परिणामतः आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने पर 50% की सीमा केवल वर्तमान वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर लागू होगी । सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की तथा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को पृथक एवं भिन्न समूह माना जाएगा और

50% आरक्षण की सीमा निर्धारित करते समय ऐसी बकाया रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा जिसमें उन्हें भरा जा रहा है ।

2. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी संवर्ग में 'आरक्षण की कमी' और 'बकाया आरक्षित रिक्तियों की संख्या' के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं । 'किसी संवर्ग में आरक्षित वर्ग विशेष के आरक्षण की कमी' का अर्थ है 'पद आधारित आरक्षण के अनुसार संवर्ग में उस वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या' तथा 'उस संवर्ग में आरक्षण द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो पदस्थ हैं' का अन्तर । दूसरी ओर 'किसी वर्ग की बकाया आरक्षित रिक्तियां वे रिक्तियां हैं जो पद आधारित आरक्षण के अनुसार पिछले भर्ती वर्ष में उस वर्ग के लिए आरक्षित चिन्हित की गईं थीं लेकिन उस वर्ग के योग्य उम्मीदवारों के नहीं मिलने के कारण भर्ती के पिछले प्रयास में नहीं भरी जा सकीं और जो अभी भी रिक्त हैं । निम्नलिखित उदाहरण 'आरक्षण की कमी' और 'बकाया आरक्षित रिक्तियों' के बीच के अन्तर तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण चिन्हित करने के तरीके को स्पष्ट करता है :

(i) माना कि किसी संवर्ग में पदों की कुल संख्या 1000 है जिन्हें खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है । जब सभी पद भरे हुए हों तो उस संवर्ग में आरक्षण द्वारा नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या आदर्शत: क्रमश: 150, 75 और 270 होनी चाहिए । (इस स्थिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण क्रमश: 15%, 7.5%, और 27% है) ।

(ii) माना कि वर्ष, 2006 में सभी 1000 पद भरे हुए थे लेकिन उनमें से आरक्षण द्वारा नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 130, 75 और 100 थी । यद्यपि इस स्थिति में संवर्ग में सभी पद भरे हुए थे किन्तु संवर्ग में उस वर्ष 20 अनुसूचित जाति और 170 अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की कमी थी ।

(iii) (क) माना कि भर्ती वर्ष, 2007 में उस संवर्ग में 200 रिक्तियां उत्पन्न हुईं जिनमें से 20 रिक्तियां अनुसूचित जाति, 10 अनुसूचित जन जाति और शेष अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के द्वारा रिक्त की गईं । इन पदों के रिक्त होने के बाद उस संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की क्रमश: 40, 10 और 170 की कमी हो गई । यद्यपि, संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

और अन्य पिछड़े वर्गों की ज्यादा कमी थी फिर भी उस वर्ष केवल 100 रिक्तियां ही आरक्षित चिन्हित की जा सकीं क्योंकि सभी 200 रिक्तियां वर्तमान रिक्तियां थी जिन पर 50% आरक्षण की सीमा लागू होगी ।

(ख) अनुसूचित जन जातियों की कमी 10 थी । यह कुल रिक्तियों के 7.5% से कम है । इसलिए, अनुसूचित जातियों के लिए 10 रिक्तियां ही आरक्षित चिन्हित की जा सकीं । अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की कमी, वर्तमान रिक्तियों के क्रमश: 15% और 27% से अधिक थी । ऐसे में, वर्तमान रिक्तियों की 15% रिक्तियां सीधे तौर पर अनुसूचित जातियों के लिए तथा 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित चिन्हित कर दी गईं । अर्थात 30 रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए तथा 54 रिक्तियां अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चिन्हित की गईं । उपर्युक्त सिद्धान्त से 94 रिक्तियां आरक्षित चिन्हित कर दी गई । आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए 6 [100-(10+30+54)] और रिक्तियों को आरक्षित चिन्हित करने की अभी भी गुंजाइश है । इन 6 रिक्तियों को अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता के अनुपात 15:27 में उन वर्गों के बीच इस बात का ध्यान रखते हुए बांट दिया गया कि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या उस वर्ग की कमी से अधिक न हो । इस प्रकार वर्ष 2007 में अनुसूचित जातियों के लिए 32, अनुसूचित जन जातियों के लिए 10 और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 58 रिक्तियाँ निर्धारित की गई ।

(ग) माना की भर्ती वर्ष 2007 में उक्त आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जाति के 20 उम्मीदवार, अनुसूचित जन जाति के 5 उम्मीदवार और अन्य पिछड़े वर्ग के 50 उम्मीदवार ही नियुक्त किए जा सके । इस प्रकार, अनुसूचित जातियों की 12 ,अनुसूचित जनजातियों की 5 और अन्य पिछड़े वर्गों की 8 रिक्तियां, जिन्हें आरिक्षित चिन्हित किया गया था नहीं भरी जा सकी और ये पद रिक्त रहे । अनुसूचित जातियों की ये 12 रिक्तियां, अनुसूचित जन जातियों की 5 रिक्तियां और अन्य पिछड़े वर्गों की 8 रिक्तियां जिन्हें आरक्षित चिन्हित किया गया था किन्तु जिन्हें भरा नहीं जा सका को बाद के भर्ती वर्ष के लिए 'बकाया आरक्षित रिक्ति' माना जाएगा । वर्ष, 2007 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद, भरे गए पदों की कुल संख्या 975 थी जिनमें से 130, 70 और 150 पद, क्रमश: अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा धारित थे । यह ध्यान देने योग्य है कि इस स्थिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्रमश: 20, 5 और 120 की

कमी थी लेकिन आगामी भर्ती वर्ष के लिए उनकी 'बकाया आरक्षित रिक्तियों' की संख्या क्रमशः 12, 5 और 8 थी ।

(iv) माना कि भर्ती वर्ष, 2008 में 200 रिक्तियां होती है, जिनमें अनुसूचित जातियों द्वारा 20, अनुसूचित जनजातियों द्वारा 10 और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा 20 रिक्तियां हुई । इस प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की कमी, क्रमशः40, 15 और 140 होगी। इस वर्ष के लिए कुल रिक्तियां 200+12+5+8=225 होंगी जिनमें से 200 वर्तमान और 25 बकाया आरक्षित रिक्तियां हैं । इनमें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की 25 बकाया आरक्षित रिक्तियों को एक पृथक एवं भिन्न समूह माना जाएगा जिनमें 12 रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए, 5 अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा 8 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी । शेष 200 वर्तमान रिक्तियों में से 100 को आरक्षित चिन्हित किया जा सकता हैं। वर्ष, 2007 के सिद्धान्तों के अनुसार 200 वर्तमान रिक्तियों में से, 28 रिक्तियां अनुसूचित जातियों, 10 अनुसूचित जनजातियों और 62 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित चिह्नित की जाएंगी । बकाया आरक्षित रिक्तियों सहित, भर्ती-वर्ष-2008 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्रमशः 40, 15 और 70 होगी । यदि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों के केवल 35, अनुसूचित जनजातियों के 12 और अन्य पिछड़े वर्गों के 50 उम्मीदवार ही उपलब्ध हो पाते हैं तो 5 अनुसूचित जातियों, 3 अनुसूचित जनजातियों और 20 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चिह्नित आरक्षित रिक्तियों को रिक्त ही रखा जाएगा । ये रिक्तियाँ बाद के भर्ती वर्ष के लिए बकाया आरक्षित रिक्तियाँ मानी जाएंगी ।

3. यदि भर्ती के पहले प्रयास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के योग्य उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसी भर्ती वर्ष या यथासम्भव अगले भर्ती वर्ष से पहले इन वर्गों के योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए दूसरा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि 'बकाया आरक्षित रिक्तियां' सृजित न हो पाएँ । यदि इन प्रयासों के बावजूद भी, आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकें तथा बकाया आरक्षित रिक्तियों को बाद के भर्ती वर्ष के लिए अग्रेसित करना पड़े तो ऐसी बकाया आरक्षित रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के समुचित प्रयास किए जाने चाहिए ।

4. ये आदेश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे । तथापि, यदि कुछ रिक्तियों के लिए इस का.ज्ञा. के जारी होने से पहले ही विद्यमान प्रावधानों के अनुसार विज्ञापन दिया जा चुका तो ऐसे मामलों को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है ।

5. अनुरोध है कि इस का.ज्ञा. की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष : 23092158

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग तथा सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
4. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली ।
5. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
6. रेल बोर्ड ।
7. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग ।
8. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट-I, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली ।
13. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
14. सी.बी.आई., एल.बी.एस.एन.ए.ए., एस.एस.सी., आई.एस.टी.एम., पी.ई.एस.बी., केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, गृह मंत्रालय पुस्तकालय ।
15. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.
16. एन आई सी को वेबसाइट में अपलोड करने के लिए ।
17. गार्ड फाइल ।
18. अतिरिक्त प्रतियां -100